†[مولانا حبیب الرحمٰن نعمانی: میں جاننا چاہتا ہوں اور منتری جی کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں انکو ویزا دینے میں بڑی آنا کانی کی جاتی ہے اور بڑی دشواری پیدا کرتے ہیں۔ تو کیا آپ اس سلسلہ میں پاکستانی حکومت سے بات چیت کرکے ویزا کیلئے کوئی سہولیت پیدا کرا سکتے ہیں۔ جس سے لوگوں کے آنے جانے میں دشواری نہ ہو تاکہ جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں انکو آسانی کے ساتھ ویزا مل سکے اور وہ پاکستان جا سکیں۔]†

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: जो आना चाहते हैं उनको तो सहूलियत दी जा सकती है। लेकिन जो जाना चाहते हैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यह पाकिस्तान का काम है कि कैसे वीजा देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए। लेकिन हम सहूलियतें बढ़ा रहे हैं और बुनियादीतौर पर ध्यान में रख रहे हैं कि बहुत सी फेमलीज ऐसी है, खानदान ऐसे हैं जो बंटे हुए हैं। मामा वहां है, बेटा यहां है, भाई वहां है, भतीजा यहां है। वे एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। यह कुदरती बात है। इसलिए हमने वीजा की फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर वहां से आने वालों की वीजा की फैसिलिटीज को घटाया है। हमारा जो करांची में कौंसिलेट चल रहा था वहां से एवरेज 700 वीजा पर डे हम देते थे। इसको नजर में रखकर उन्होंने हमारे कौंसिलेट को बंद किया। पिछले दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से जो वीजा देते हैं, हिन्दुस्तान में आने वाले युवकों के लिए उसकी संख्या बढ़ाये। इस वक्त करीब-करीब 300 रोज दे रहे हैं। मुश्किल हमारी यह है कि हमारे पास स्टाफ कम है और इसलिए आफिसरों के खानदान, उनके बीबी-बच्चे भी यह काम कर रहे हैं वीजा वैक्सीलेट करने के लिए। हम इस मुसीबत को समझते हैं, दर्द को समझती है क्योंकि 95 परसेंट वीजा जो दिया जाता है वह उन लोगों को दिया जाता है जिनके खानदान बंटे हुए हैं। लेकिन क्योंकि यहां से जाने वाले लोगों के लिए सहूलियतें नहीं हैं, इसलिए यह भी एक इंसानी हमारा फर्ज है और जो हमारा रवैया है उसके आधार पर हम कोशिश करते है कि जो लोग आना चाहते हैं उनको यहां आने की सहूलियत दी जाए।

† [] Translation in Arabic script.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, in addition to the 'hate India compaign' by Pakistan, is it true that 75,000 soldiers from Pakistan Armed Forces have joined Taliban to destabilise peace and law and order in this part of the world and countries like Iran, CIS and India would be the target? Will the hon. Minister throw some light on this issue?

SHRI I.K. GUJRAL: Sir, I won't be able to numerically say how many soldiers have or have not joined. But one thing is very certain that some people are there who arc pakistani nationals. As a matter of fact, when our Secretary visited Mazaar-e-Sharicf recently, he was told by the Dostum regime that they have captured quite a few Pakistani national fighting in Afghanistan. But that report is there. That is why the policy that India is following regarding Afghanistan has two dimensions. One dimension is that we want Afghanistan to settle down in peace and in dignity and nobody from outside should intervene. Secondly, we feel that the type of regime which Pakistan and some other friends at a much longer distance are trying to encourage, will destabilise the whole region.

Implementation of National Telecom Policy

*83. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have failed to implement the National Telecom Policy of 1994;

(b) whether Private Sector which is investing more than Rs. 64,000 crore in the sector does not have a single rep-

rcscntation on the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI);

(c) whether an Indian telecom delega tion which recently visited the USA could not get assurance from American finan cial institutions for further investment in telecom projects in India; and

(d) if so, the reasons for failure of Government's telecom policy and the present scope of expansion/investment by foreign institutions in this sector?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के कार्यान्वयन के संबंध में कारगर कदम उठाए हैं। इस नीति के अनुसरण में 8 भारतीय पंजीकृत कंपनियों (प्रत्येक महानगर में 2-2) की सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के प्रचालन के लिए लाइसेंस दिये गये हैं और उन्होंने सभी चार महानगरों में प्रचालन प्रारंभ कर दिया है। 18 क्षेत्रीय (टेरीटोरियल) दूरसंचार सर्किलों को कवर करते हुए 13 भारतीय पंजीकृत कंपनियों को 33 लाइसेंस भी दिये गये हैं।

27 शहरों में रेडियो पेजिंग सेवाओं के लिए 106 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, 72 लाइसेंस धारकों ने अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों में रेडियो पेजिंग सेवाओं के लिए 31 लाइसेंस दिए गए हैं। बुनियादी सेवाओं के लिए 7 चुनिंदा बोलीदाताओं को आशय पत्र जारी किए गए हैं, 15 लाइसेंस ई-मेल सेवाओं के प्रचालन हेतु दिए गए हैं जिसमें से 12 लाइसेंस धारकों ने सेवाएं प्रदान करनी प्रारंभ कर दी हैं। 29 लाइसें वाइस मेल/आडियोटेक्स सेवा के लिए जारी किए गए हैं और 2 कंपनियों ने मुंबई में प्रचालन शुरू कर दिया है। 86 शहरों में "पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड" सेवा के लिए 262 लाइसेंस करार समाप्त किए गए हैं जबकि 13 कंपनियों को बी सैट प्रयोग करने वाले क्लोज्ड यूजर ग्रुप 64 के बी पी एस डाटा (सी यू जी) सेवा का प्रचालन करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। 5 कंपनियों ने अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं।

6.168 मिलियन टेलीफोन, आठवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान यानि 31 मार्च, 1996 तक संस्थापित किए गए थे। 1996-97 के लिए 2.45 मिलियन टेलीफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 31 मार्च, 96 तक देश में 6,04,925 गांवों में से 2,16,632 को यह सुविधा दे दी गई थी। आजतक की स्थिति के अनुसार 2,80,650 सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित किए जा चुके हैं।

प्रौद्योगिकी के अंतर्वाह (इंफ्लो) को दो तरफ से सुविधाजनक बनाया गया है निर्माणकारी यूनिटों को स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को अनुमति दे कर और साथ ही भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों का गठन करके। दूरसंचार उपस्कर के आयात शुल्क में उदारता बरती गई है और सीमा शुल्क टैरिफ को काफी कम किया गया है। जहां तक स्वदेशी प्रौद्योगिकी का संबंध है, सी-डॉट द्वारा विकसित उत्पादों को उन मामलों में प्राथमिकता दी गई है जहां से तकनीकी रूप से उपयुक्त और लागत प्रभावी है, ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतर सी-डॉट प्रौद्योगिकी स्विचों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

दूरसंचार क्षेत्र का बहुमुखी विकास करने, ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के लिए एक सांविधिक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए कार्रवाई की गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक विधेयक, 1996 (जुलाई, 1996) में लोक सभा में प्रस्तुत संचार संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट संसद के चालू सत्र में लोक सभा में पटल पर रखी दी गई है। इस समय यह मामला संचार संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पुनः विचाराधीन है।

दूरसंचार आयोग में सदस्य (वित्त) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने यू के और यू एस ए में दूरसंचार नियामक प्राधिकरणों के गठन एवं ढांचे का अध्ययन करने के लिए सितम्बर, 96 में इन देशों की यात्रा की। इस प्रतिनिधि मंडल के विचारार्थ विषय में, भारत में दूरसंचार परियोजनाओं में और निवेश करने के लिए यू एस वित्तीय संस्थानों से पूछताछ करना शामिल नहीं था।

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, आर्थिक उदारवादी नीति के अन्तर्गत दूर संचार की राष्ट्रीय नीति 1994 में निर्धारित की गई थी और उसके अन्तर्गत कुछ उद्देश्य, कुछ टारगेट तय किये गये थे। उसमें यह कहा गया था कि अब टेलीफोन के लिए मार्च, 1997 के बाद किसी को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

उसी के अन्तर्गत यह भी कहा गया था कि एक करोड़ टेलीफोन कनेक्शन मार्च, 1997 तक दे दिये जायेंगे। उसमें से 72 लाख 50 हजार टेलीफोन कनेक्शन डी०ओ०टी० के द्वारा दिये जाने थे और 2.5 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिये जाने वाले थे। इसमें लगभग 64000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट होना था। जिन्होंने उस समय यह नीति निर्धारित की थी यद्यपि वे मंत्री महोदय अब हवालात में हैं या हवालात के बाहर सैर कर रहे हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री के साथ क्या नीति भी हवालात की सैर करने चली गई? आखिर आपने अपने उत्तर में अपने विषद तथ्य दिये हैं, उसको आपने परसेंटेज के साथ जोड़ा होता। एक करोड़ नये टेलीफोन कनेक्शन देने की व्यवस्था में आपने कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये और जो 64000 करोड़ रुपया लगना था, उसके अन्तर्गत आपके पास कितने कमिटमेंट आए, यह आपको बताना था लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने स्पष्ट नहीं कहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय कृपा कर के स्पष्ट बताइये कि आपकी दूर संचार नीति कितने परसेंट सफल रही है और कितने परसेंट असफल हो गई है। आपने यह वायदा किया था कि चार लाख गांवों में आप मार्च 1997 तक टेलीफोन कनेक्शन दे देंगे लेकिन अभी तक उसके बारे में कितनी प्रोग्रेस हुई है निश्चित रूप से आपने यह नहीं बताया है।

MR. CHAIRMAN: Please put your question and conclude.

श्री रामदास अग्रवाल: चार लाख गांवों में आपने कनेक्शन देने की बात की थी, उसमें से आपने कितने गांवों में कनेक्शन दिये हैं? जो पहले हो चुका है उसको आप छोड़ दीजिये, उन तथ्यों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो चार लाख गांवों में वायदा किया था उसमें से कितने दिये, इस पॉलिसी के निश्चित होने के बाद? पिछले चार वर्ष पंचवर्षीय योजना के मत गिनाइये। हम जो तथ्य जानना चाहते है वह तथ्य आप दीजिये पॉलिसी के आधार पर। यह मेरे पहले सप्लीमेंटरी का प्रथम भाग है और दूसरा भाग यह है .....**(व्यवधान)**.....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् यह सही है कि मार्च 1994 में जो दूर संचार नीति सरकार ने अपनाई थी उसमें 1997 के अंत तक ऑन डिमांड टेलीफोन देने की सुविधा देने का वायदा किया गया था और सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का भी उसमें लक्ष्य रखा गया था लेकिन श्रीमन् यह सब अनुमान के ऊपर था और खास तौर से प्राइवेट आप्रेटर्ज़ से सहयोग की अपेक्षा के ऊपर निर्भर था। अभी तक प्राइवेट आप्रेटर्ज़ ने अपना काम शुरू नहीं किया है। 10 सर्किलों में 4 पहले ही अदालत में चले गये। हमने फिर उनको टाइम दिया कि फलां तारीख तक आप एग्रीमेंट साइन कीजिये। उसमें पांच आए और एक नहीं आया जिसकी बैंक गारंटी इनकैश करने का आर्डर हमने कर दिया। जो प्राइवेट टेलीफोन आप्रेटर थे उनके द्वारा 10 प्रतिशत टेलीफोन कनेक्शन गांवों में देने का प्रावधान था, इस वजह से ग्रामीण टेलीफोन का लक्ष्य भी हमारा सफर हुआ और जो ऑन डिमांड मार्च, 1997 तक टेलीफोन की परिकल्पना थी उसको भी पूरा होने में दिक्कत आ रही है। लेकिन इस वर्ष 25 लाख नये टेलीफोन देने का जो लक्ष्य रखा है हम आशा और विश्वास करते हैं कि वह लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे और जो 75 हजार गांवो में टेलीफोन देने का लक्ष्य रखा है, उसके लिए भी हमने अलग से बजट का पहली बार प्रावधान कर दिया है। उस पैसे को किसी दूसरी मद में खर्च नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें विश्वास है कि 75 हजार गांवों में नये टेलीफोन कनेक्शन लग जाएंगे इसके पहले अगर सब से ज्यादा ज्यादती हुई है तो गांवों के लक्ष्य के साथ हुई है।

इसके पहले के वर्षों में देखा जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन का लक्ष्य रखा गया था उसकी करीब 30 प्रतिशत पूर्ति हुई थी। लेकिन इस बार हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उसमें शत प्रतिशत हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और 25 लाख के लगभग नये टेलीफोन कनेक्शन भी हम विभाग की तरफ से दे पाएंगे क्योंकि निजी प्रचालक अभी सेवा में आ नहीं पाए है। इसलिए जो 1997 का हमारा लक्ष्य था ऑन डिमांड टेलीफोन का और सभी गांवों में टेलीफोन सुविधान प्रदान करने का उसमें अभी दिक्कत आ रही है।

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, माननीय मंत्री महोदय...

सभापति: सेकेंड सप्लीमेंट्री।

श्री रामदास अग्रवाल: हां सर।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह बड़े स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि दूर संचार नीति कंप्लीटली फेल हो गयी है, असफल हो गयी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: उसको हमने नहीं माना है।

श्री रामदास अग्रवाल: यह तो आपने स्वीकार किया ही है क्योंकि जहां 4 लाख गांवों में देने की बात है वहां पर आप अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जहां एक करोड़ टेलीफोन देने थे वहां पर केवल 25 लाख देने का वादा कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में .....(व्यवधान)..... हां वही.....(व्यवधान)..... जो वादे किए जाते हैं उनका कुछ महत्व होना चाहिए। जो नीति हम निर्धारित करते हैं उसको लागू करना चाहिए। यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि नीतियां निर्धारित होती हैं, लक्ष्य निर्धारित होते हैं लेकिन बाद में यह कहकर छूट दे दी जाती है कि हम इसको पूरा नहीं कर सके। आखिर तो भी आपको, किसी को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। डी॰ओ॰टी॰ को 75 लाख टेलीफोन देने थे उसमें से कितनी दिए, प्राइवेट सेक्टर में केसेज कर दिए। ये किस वजह से हुए? इसलिए दूसरा सप्लीमेंट्री मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था उसमें वह क्यों नहीं हुआ? आपकी एक टीम अभी अमेरिका गयी थी। आपने कहा कि वह टीम का विषय नहीं था। टीम जब अमेरिका गयी थी तो क्यों नहीं वहां पर उसमें इस बात की जानकारी की थी कि विदेशी निवेश इस क्षेत्र में कितना आएगा या नहीं आएगा और अगर नहीं आने वाला है तो फिर आप उसके लिए क्या आल्टरनेटिव व्यवस्था करने वाले हैं? उसी के साथ जो दूर संचार नीति के अंतर्गत आपने पांच लोगों की एक कमेटी बनायी, क्या उस कमेटी में कोई सार्वजनिक व्यक्ति या एम॰पी॰ या एम॰एल॰ए॰ या और कोई एसोसिएशन के प्रतिनिधि आप उस कमेटी में शामिल करेंगे जिससे कि वहां पर उस कमेटी में हुए डिसकशन की वास्तविक जानकारी भी जनता तक आ सके अन्यथा ये लक्ष्य केवल कागज़ी लक्ष्य रह जाएंगे और बाकी का काम पूरा नहीं होगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन, जो अभी हमारी टीम गयी थी विदेश, उसका उद्देश्य विदेशी पूंजी निवेश के बारे में कुछ था ही नहीं। इसलिए उसका कोई हम यहां पर उल्लेख करना भी नहीं चाहते हैं। जहां तक निजी प्रचालकों को टी॰आर॰ए॰आई॰ में उनके प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रश्न है सरकार उसको उचित नहीं मानती है। इसलिए उचित नहीं मानती है कि वे ही आपरेटर होंगे, वे ही रेगूलेटर होंगे। तो हमारे देश का जो वातावरण है उसमें फैसले क्या होंगे इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए जो निजी आपरेटर्स हैं उनको रेगूलेट्री अथारिटी में रिप्रेजेंटेशन न देने का ही निर्णय उचित होगा। श्रीमन, जहां तक आपने यह कहा है कि एक करोड़ विभाग द्वारा टेलीफोन देने का लक्ष्य था, एक करोड़ नहीं 75 लाख का लक्ष्य था।

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, मैंने केवल यह पूछा है कि सार्वजनिक व्यक्तियों में से किसी को आप उस रेगूलेट्री अथारिटी में रखेंगे क्या? मैंने प्रायवेट के लिए नहीं कहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: एक करोड़ नहीं, 75 लाख का लक्ष्य था 1997 तक विभाग द्वारा टेलीफोन के नये कनेक्शन देने का। अग्रवालजी, आपको जानकर खुशी होगी कि 75 लाख की जगह हम मार्च 1997 तक 86 लाख विभाग के जरिए नये टेलीफोन कनेक्शन इस देश को उपलब्ध करा देंगे और श्रीमन जो टी॰आर॰ए॰आई॰ का प्रोपोज्ड बिल है वह आपके सामने आएगा पास होने के लिए। तो उसमें एक्सपर्ट्स होंगे, वे गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं।

श्री रामदास अग्रवाल: मुझे आशा है कि आपका लक्ष्य पूरा होगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: आपके सुझाव का हम पूरी तरह से उसमें आदर करेंगे। आएगा जब विचार के लिए तो आप अपने भी विचार दीजिएगा।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman Sir, the fact is that whatever has been said by the Communication's Minister is true beyond doubt. The assessment, on the basis of which the National Telecom Policy was fromulated has gone haywire. My Problem is not like that of Mr. Agarwal's Private investment has not come because the very instrument that we have chosen to attract private investment and for that matter foreign investment is totally misplaced. In the last three years, we have seen that, in spite of getting ample opportunities, the private sector did not cooperate in operationalis-ing the National Telecom Policy. They have raised extraneous issues. They have sabotaged the entire telecom sector in the country. Mr. Chairman, Sir, I have only

one question to put. He has pointed out that the DOT had overshot while installing the DEL. So far as rural telecom and village telecom is concerned, the private-sector has not responded. These circles have been lagging behind in terms of telephone installations. In the light of this, will the Government consider laying on the Table of the House a modified telecom policy taking into account the experience that you have gained by the sabotage of the telecom sector by the private sector?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् सरकार कोई भी नीति बहुत सोच-समझकर बनाती है और बसु जी तो हमारे बहुत ही योग्य ऑनरेबल मेंबर हैं। श्रीमन् यह पॉलिसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी एड्रॉप्ट कर ली गयी है और उस पर आगे चलने की बात है।

श्री नीलोत्पल बसु: यह गलत बात है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक शब्द भी टेलीकॉम के बारे में नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: यह सही है। श्रीमन् निजी प्रचालकों के न आने के कारण हमारा ग्रामीण सुविधा देने का जो लक्ष्य था, वह सफर हुआ है। यह सही है और उस को हम ने उस से नहीं जोड़ा है। श्रीमन् कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमारा जो स्टैंड है वह वही है, लेकिन आप को मालूम होगा कि हमारे पास और भी आल्टरनेटिव्स हैं। बसु जी को खास तौर से मालूम है कि वर्ल्ड टेल के चैयरमैन सैम पेट्रोडा साहब आए थे और उन्होंने भी एक आल्टरनेटिव प्रपोजल दिया है। वह भी विचार करने योग्य है। तो ऐसा नहीं है कि निजी प्रचालकों ने हम से जो करार किया है, अगर उस में किसी तरह की दिक्कत आती है तो हमारे पास आल्टरनेटिव प्रपोजल या हमारे पास कोई आल्टरनेटिव रास्ता नहीं है।

श्री नीलोत्पल बसु: मंत्रीजी, सवाल यह है कि जो नया प्रस्ताव आया है, वह नेशनल टेलिकॉम पॉलिसी के तहत नहीं है। तो सवाल यह है कि जो मौजूदा टेलिकॉम पालिसी है, आप को उस को मॉडीफाइ करना होगा। हम सरकार से यह आश्वासन मांग रहे हैं कि सरकार एक मॉडीफाइड पॉलिसी लेकर आएगी या नहीं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् जो पॉलिसी है, वह सरकार की उदारीकरण नीति से जुड़ी हुई पॉलिसी है और हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सरकार ने उदारीकरण नीति को मान लिया है।

SHRI SATISH AGARWAL: Thank you, Mr. Chairman, Sir. With great fanfare the National Telecom Policy was announced on the 13th May, 1994. I have a copy of the statement. It was mentioned therein that the principal objective of the historic document was to bring about a situation by 1997 when telephone will be available on demand. I quote, "to have public telephone in every village of India by 1997; to have a pubic call office for every 500 persons in urban areas." In brief, the national task was to provide universal access to telecom services in the whole country at affordable prices. This is the statement made in the House on 22nd December, 1995. Now, today you have answered the question put by Mr. Ramdas Agarwal whereby you have mentioned a lot of other things excepting the basic questions. You have mentioned in Para 2 "For basic services Letters of Intent have been issued to seven selected bidder^." What impression does it give, that seven Letters of Intent have been issued to seven bidders? Now, in an earlier answer to a question of mine, on the 20th of November, 1996, just last week, what you said in your reply to my question is, only five of them have accepted the Letters of Intent.

Why are you misleading the House? What you mentioned in your answer on 20th of November is different from what you stated on the 22nd of November. *.....(Interruptions)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: पांच ने स्वीकार किया है।

SHRI SATISH AGARWAL: Only five bidders have accepted your Letters of Intent as you mentioned on 20th of November but you have failed to mention the same thing today in this answer.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: वही आज भी है। ....(व्यवधान).....

SHRI SATISH AGARWAL: But you have not mentioned in the House today.

MR. CHAIRMAN: It was said earlier.

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, everything was said earlier. Is he going to pursue the same policy which the former Minister pursued? Please let me know. Out of the 21 circles of basic services which were tendered for privatisation in January 1995, only five Letters of Intent have been accepted so far. Five Letters of Intent-holders have filed writ petitions in Delhi High Court. For the balance circles no Letter of Intent has been issued so far. How does this compare with the original tariff? Nothing has been mentioned regarding eleven circles. Five have been issued, five have been accepted and five are pending in the Court. What about the other eleven? You have done nothing so far. I would like to know whether the Government—as rightly pointed out by Mr. Nilotpal Basu and rightly raised by Shri Ramdas Agarwal—is going to update this telecom policy and bring out a freash policy or are you thinking of toeing on the same line, toeign on the same direction which the former .Communications Minister following and was doing all this? I have not seen a greater bungling in the telecom privatisation issue than what happened over all these years and what fate he is meeting. Are you going to toe the same line or are you going to have a modified telecom policy which should be discussed and debated in this House?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, अभी नीति कोई बहुत पुरानी नहीं हो गई। दो साल पहले ही इस नीति को सरकार ने अपनाया है, सदन ने भी अपनाया है।

श्री सतीश अग्रवाल: सदन में डिसकस नहीं हुआ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: 21 सर्किल उस बीडिंग में आए थे, जिसमें 10 सर्किल के लेटर आफ इंटेंट जारी किए गए, 3 सर्किल अभी अंडर कंसीडेशन हैं। श्रीमन्, जो आपने कहा था, हमने उसको पहले ही बता दिया कि वर्ष 1997 तक ऑन डिमांड टेलीफोन हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि निजी प्रचालक सेवा में नहीं आ पाए हैं। लेकिन, जो आपने अभी एक प्रश्न किया कि 500 लोगों पर शहरों में एक पी०सी०ओ० देने का, तो 500 लोगों पर तो नहीं लेकिन मार्च, 1997 तक 600 लोगों पर एक पी०सी०ओ० शहरों में दे देंगे। निजी प्रचालक नहीं आए हैं, तो भी विभाग के द्वारा जितना विस्तारीकरण कर सकते हैं, जितना उस काम में तेजी ला सकते हैं, उसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल: मैंने यह पूछा था आपसे, कि 21 सर्किल कुल थे, जिसमें 5 कोर्ट में चले गए, 5 ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी 11 सर्किल के मामले में आप क्या करने वाले हैं? आज 11 सर्किल, 21 में से 11 यानि मोर देन फिफ्टी परसेंट तो ऐसे ही हैं। पांच कोर्ट में गए तो 16 रह गए और पांच ही एक्सेप्ट हुए। आपका यह 25 परसेंट एचीवमेंट हुआ। तो फिर आप यह मोडिफाई टेलीफोन पालिसी लेकर डिबेट कराइए। इस हाउस में उस पालिसी को लेकर आइए, जो वास्तविकता पर आधारित हो कि यह नीति हमारी है, हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: यह रूटीन वर्क है। पालिसी तो आपने एडोप्ट कर ली है।

श्री सतीश अग्रवाल: डिबेट नहीं हुआ इस हाउस में। आप बताइए, डिबेट कब हुआ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: पालिसी तो हाउस में भी एडोप्ट हुई है।

श्री सतीश अग्रवाल: नहीं, हाउस में इस पर कभी डिबेट नहीं हुआ। आप सारे हाउस से पूछ लीजिए।... (व्यवधान)

SHRI AJIT P.K. JOGI: Sir, Kindly permit a Half-An-Hour-Discussion on this.

MR CHAIRMAN: Please give notice.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, there should be a Half-An-Hour Discussion.

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद: मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि डाक प्रतिनिधिमंडल यू०एस० गया था भारत की दूर संचार परियोजनाओं में निवेश करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से पूछताछ के बारे में। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी पूछताछ करने

की आवश्यकता है। अगर है तो क्या आप दूसरा प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे वहां?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Structural changes for harnessing potential in speed post services

*84. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are considering structural changes in the postal department to harness huge potential in speed post services in coordination with State authorities/other agencies for extensive coverage of the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) the growth potential of revenue through expansion and improvement in services of speed post over the next 5 years; and

(d) the details of plan proposed to harness the same?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) and (b) A separate Directorate in the Department of Post has been set up with effect from 1st Feb., 1996 to develop and market Speed Post and other premium products. This Directorate is headed by a Chief General Manager. In the field units of the Department also special attention is being given for developing and marketing of Speed Post and other premium products by exclusive ear-marking of an officer for this work in some circles. In some other circles existing officers look after the work in addition to his normal duties.

(c) The growth potential of revenue through expansion and improvement in services of Speed Post over the next five years is anticipated to be around 30% to 35% keeping in view the prevailing market trends.

(d) to improve efficiency and quality of Speed Post service the Department has initiated actions on the following (details are in the enclosed statement *see* below).

1. Improving responsiveness to customer needs in the matter of picking up and delivery of Speed Post articles.

2. Rationalisation of procedures in the Speed Post Centres to make them more customer-oriented and ensure jexpeditious handling of Speed Post articles.

3. Introduction of Track & Trace System to cover national Speed Post Centres in a phased manner.

4. Computerisation of transit mail offices for Speed Post articles in big cities.

Statement

1. Pick up and Delivery of Speed Post:

Free pick up of Speed Post ails is arranged for regular customers, those who are under Book Now Pay Later (BNPL) scheme of the Department.

Delivery is being rationalised by centralising the work of Speed Post delivery through nodal offices. Circles have already identified nodal delivery offices in the Metreo cities. This rationalisation win, reduce logistic problems and will ensure computerised Tracking and Trading of all inward speed Post mails in these cities.

5. Training and upgrading the skill of staff deployed in Speed Post Centres.

6. Better marketing of Speed Post Service by organising Customer Meets and focussed publicity.